

कार्यकारी सारांश अद्यतन पुर्नवास योजना (डब्ल्यूएस० & एस०-डी०डी०एन०-०२)

परियोजना पृष्ठभूमि— प्रस्तावित उत्तराखण्ड एकीकृत और रेजिलिएंट शहरी विकास परियोजना (यूआईआरयूडी०पी०) का उद्देश्य सुरक्षित और किफायती पेयजल आपूर्ति तक सार्वभौमिक समान पहुंच में सुधार करना और खुले में शौच को समाप्त करते हुए सभी लोगों के लिए पर्याप्त एवं समान पेयजल और स्वच्छता सुविधा तक पहुंच बनाना है। परियोजना का उपेक्षित परिणाम देहरादून और नैनीताल में जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाओं की विश्वसनीयता और दक्षता में वृद्धि है। परियोजना के चार प्रमुख अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं: (i) आउटपुट 1: देहरादून में जल आपूर्ति प्रणाली और सेवा में सुधार हुआ; (ii) आउटपुट 2: देहरादून और नैनीताल में एकीकृत स्वच्छता प्रणाली और जल निकासी में वृद्धि; (iii) आउटपुट 3: देहरादून और नैनीताल में विकसित और कार्यान्वित पानी और स्वच्छता के लिए कम्प्यूटरीकृत रखरखाव और प्रबंधन प्रणाली (सी०एम०एम०एस०), (iv) आउटपुट 4: परियोजना प्रबंधन, संस्थागत क्षमता और ज्ञान को मजबूत किया।

यह अद्यतन पुर्नवास योजना आउटपुट 1 और आउटपुट 2 के तहत उप-परियोजना अनुबंध पैकेजों में से एक के लिए तैयार की गई है, जो देहरादून की दक्षिणी परिधि में स्थित 2018 में संशोधित नगर निगम सीमा के आधार पर नए जोड़े गए वार्डों में जल आपूर्ति, स्वच्छता और जल निकासी व्यवस्था का विकास है। जिसमें वार्ड संख्या 83 (केदारपुर) और 85 (मोथरोवाला) का हिस्सा शामिल हैं। इस पुनर्स्थापन योजना को परियोजना के अंतिम डिजाइन के आधार पर उप-परियोजना क्षेत्र में प्रभावित परिवारों (ए०पी०) के लिए पुनः सत्यापन सर्वेक्षण जो कि विस्तृत मापन सर्वेक्षण (डी०एम०एस०) के आधार पर अद्यतन किया गया है। नलकूपों और ऊर्ध्व जल जलाशय के स्थानों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अद्यतन जल आपूर्ति नेटवर्क और सीवरेज नेटवर्क और स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज और एफ०एस०एस०एम० के डिजाइन को तैयार कर अंतिम रूप दे दिया गया है।

परियोजना विवरण— परियोजना के अंतर्गत नव विस्तारित देहरादून, जोन 7 का दक्षिणी भाग प्रस्तावित है, जिसमें केदारपुर, बंजारावाला और मोथरोवाला वार्ड शामिल हैं। इस परियोजना क्षेत्र की स्थलाकृति और जल विज्ञान के आधार पर इसे तीन कार्य अनुबंध पैकेजों में विभाजित किया गया है। इस अनुबंध पैकेज 2 के मुख्य घटकों में शामिल हैं: (i) 1000 लीटर प्रति मिनट (एल०पी०एम०), 1500 एल०पी०एम० और 1500 एल०पी०एम० क्षमता वाले तीन गहरे नलकूपों की स्थापना करना; (ii) 650 किलो लीटर (कॅ०एल०) और 800 कॅ०एल० क्षमता के साथ दो ऊर्ध्व जल जलाशय (ओ०एच०टी०) का निर्माण, (iii) 63 किलोमीटर (कि०मी०) जल आपूर्ति नेटवर्क की स्थापना; (iv) 50.52 किमी० की स्थापना, सीवर पाइप; (v) 1,950 संख्या में पानी के घरेलू कनेक्शन और 1650 संख्या में घरेलू सीवर कनेक्शन की स्थापना; और (vi) 30 किमी ड्रेनेज सिस्टम की स्थापना।

पुर्नवास योजना— देहरादून में बंजारावाला क्षेत्र के लिए ट्यूबवेल, ऊर्ध्व जल जलाशय, वितरण नेटवर्क, ट्रंक सीवर, पैकेज UIRUDP: WS&S-DDN-02 को शामिल करते हुए जलापूर्ति और सीवरेज प्रणाली के प्रस्तावित विकास के लिए अद्यतन पुर्नवास योजना तैयार की गई है। पैकेज 2 में लक्षित क्षेत्रों के भीतर सभी निवासियों के लिए बेहतर जल निकासी, सीवरेज और स्वच्छता प्रबंधन सुनिश्चित की जाएगी। अद्यतन पुनर्स्थापन योजना विस्तृत डिजाइन के आधार पर परियोजना घटकों के निर्माण के लिए अनैच्छिक पुर्नवास के संभावित प्रभावों का आँकलन करती है। शहरी सड़कों के किनारे किनारे विक्रेता और दुकान आदि की पहचान की गई है जिन पर पेयजल तथा सीवर पाइपलाइन बिछाया जाना प्रस्तावित है। इसके अंतर्गत पी०सी०आर० फार्म, दून यूनिवर्सिटी रोड, मोथरोवाला ब्रिज और पुलिस चौकी के पास दून यूनिवर्सिटी रोड के पास के कुछ स्थानों पर पानी की आपूर्ति और सीवर पाइपलाइन बिछाने के दौरान संभावित प्रतिकूल प्रभावों (अस्थायी संभावित आय हानि) की पहचान की जाती है। पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई०एम०पी०) के अनुसार सभी प्रतिकूल प्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए शमन उपाय विकसित किए गए हैं; ऐसे स्थान जहां अनैच्छिक पुर्नवास प्रभाव अपरिहार्य हो, में हानियों की क्षतिपूर्ति के लिए पात्रता मैट्रिक्स के अनुसार पुर्नवास योजना में बजट का प्रविधान किया गया है।

भूमि अधिग्रहण और अनैच्छिक पुर्नवास का दायरा— परियोजना कार्यान्वयन के लिए निजी भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऊर्ध्व जल जलाशय (ओ०एच०टी०), नलकूप, जल आपूर्ति और सीवर पाइपलाइन बिछाने, बरसाती जल नालियों के निर्माण, वर्षा जल संचयन संरचनाओं, आउटफॉल संरचनाओं के निर्माण के लिए संपूर्ण सिविल कार्यों का निर्माण सरकारी स्वामित्व के तहत भूमि और सड़क का अधिकार (आर०ओ०डब्ल्य००) में किया जाएगा। ऊर्ध्व जल जलाशय (ओ०एच०टी०) और नलकूपों के निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि क्षेत्र एक खाली प्लॉट है जो किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से मुक्त है, डी०एम०ए० 4 में ओ०एच०टी० और ट्यूबवेल के लिए चिह्नित भूमि क्षेत्र एक खाली प्लॉट है जो किसी भी नये निर्माण कार्य से प्रभावित नहीं होंगे। नई संरचना किसी भी मौजूदा सरकारी सड़कों लोक निर्माण विभाग (पी०डब्ल्य०डी०) और डी०एन०एन० के स्वामित्व में (आर०ओ०डब्ल्य००) के भीतर रखी जाएगी। यह

अद्यतन पुनर्वास योजना विस्तृत डिजाइन, क्षेत्र के दौरान, सभी प्रासंगिक हितधारकों के साथ चर्चा पर मौजूदा जानकारी की समीक्षा पर आधारित है, साथ ही परियोजना के लिए सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की प्रक्रिया के रूप में संबंधित विभागों, उपयोगकर्ता समूहों और समुदाय के अन्य सदस्यों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श किया गया है।

अनुबंध पैकेज क्षेत्र में प्रभावित व्यवसायों के ट्रांजेक्ट वॉक और सर्वेक्षणों के आधार पर, अनैच्छिक पुनर्वास प्रभावों का आँकलन किया गया है। यह आकलन किया गया है कि दस (10) सड़क किनारे स्थित दुकान मालिकों (प्रभावित परिवार के सदस्यों की संख्या 51) को निर्माण चरण के दौरान व्यवधान की अवधि के दौरान (26 दिनों के रूप में अनुमानित) के लिए अस्थायी आय हानि होगी संभावित है। यह अद्यतन आर०पी० साइटों और सरेखण के 100% सर्वेक्षण पर आधारित है। चूंकि प्रस्तावित परियोजना का कार्यान्वयन (डिजाइन बिल्ड एंड आपरेशन) के माध्यम से होना है, अतः ठेकेदार द्वारा विस्तृत डिजाइन को अंतिम रूप देने के दौरान प्रस्तावित प्रमुख बुनियादी ढांचे और विभिन्न सहायक संरचनाओं के लेआउट और डिजाइन में कुछ आवश्यक बदलाव किये गये हैं। साथ ही विस्तृत डिजाइन और जनगणना सर्वेक्षण (डी०एम०एस०) के माध्यम से अंतिम विस्तृत डिजाइन को तय करने के दौरान अनैच्छिक पुनर्वास प्रभावों का आकलन किया गया है। अद्यतन पुनर्वास योजना को निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व विस्तृत डिजाइन, डी०एम०एस०, जनगणना सर्वेक्षण और साइट आधारित विशिष्ट परामर्श के आधार पर अद्यतन किया गया है। साथ ही सभी परियोजना स्थलों और सभी सड़कों पर पेयजल एवं सीवर पाइपलाइन बिछाई जाने वाले संभावित क्षेत्रों के प्रभाव का 100 प्रतिशत मूल्यांकन शामिल किया गया है। परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी०आई०यू०) और परियोजना प्रबंधन और डिजाइन पर्यवेक्षण सलाहकार (पी०एम०डी०एस०सी०) ने अद्यतन पुनर्वास योजना के लिए 100 प्रतिशत प्रभावित व्यक्तियों को शामिल करते हुए सत्यापन सर्वेक्षण किया गया है।

वर्गीकरण— परियोजना को एशियाई विकास बैंक के सुरक्षा नीति वक्तव्य (ए०डी०बी० एस०पी०एस०) 2009 के अनुसार 'श्रेणी बी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कानूनी ढांचा— यू०आई०आर०यू०डी०पी० के लिए नीतिगत ढांचा और पात्रता निम्नलिखित कानूनों और नीतियों पर आधारित है: 1. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास अधिनियम (आर०एफ०सी०टी०एल०ए०आर०आर०ए०) 2013 और, 2. ए०डी०बी० एस०पी०एस०, 2009 में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार।

पात्रताएं, सहायता और लाभ— पुनर्वास योजना में प्रस्तुत एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स परियोजना क्षेत्र में सभी प्रभावित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली सभी संभावित हानियों के मुआवजे का प्राविधान करता है। सामान्य तौर पर, सीवरेज परियोजना के तहत प्रभावित लोग निम्नलिखित प्रकार के मुआवजे और सहायता के हकदार होते हैं: (i) प्रभाव की अवधि के लिए आय के नुकसान के लिए मुआवजा; (ii) स्थानांतरण भत्ता; और (iii) कमजोर समूहों को अतिरिक्त सहायता।

प्रभाव से बचाव और न्यूनीकरण— रात के घंटों के दौरान ई०एम०पी० कार्य में प्रदान किए गए शमन उपायों के अनुसार परिकल्पित प्रभावों में से अधिकांश को कम होने की उम्मीद है और विशेष रूप से बाजार क्षेत्रों के साथ सीवर पाइपलाइन बिछाने के लिए गैर-बाजार दिनों पर विचार किया जाएगा। अनैच्छिक पुनर्वास प्रभावों से बचने और कम करने के लिए, सड़क के किनारे के दुकानदारों, बाजार क्षेत्रों में विक्रेताओं के साथ विचार-विमर्श किया गया है ताकि निर्माण कार्यक्रम को विशेष रूप से संकरी सड़कों और व्यस्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में (चरणबद्ध तरीके से) को अंतिम रूप दिया जा सके।

परामर्श और सूचना प्रकटीकरण— अनुबंध पैकेज क्षेत्र के तहत परियोजना के उद्देश्यों, लक्ष्यों और कार्य के दायरे का खुलासा परियोजना के संभावित लाभार्थियों, प्रभावित व्यक्तियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों और संस्थागत हितधारकों के लिए किया गया है। स्वीकृत एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स और पुनर्वास योजना सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराई गई है, यथा शहर में उत्तराखण्ड सरकार के संबंधित कार्यालय और ए०डी०बी० वेबसाइट के माध्यम से इस पुर्ववास योजना का खुलासा किया जाएगा। स्थानीय भाषा में अनुवादित परियोजना सूचना प्रकटीकरण पत्रक की प्रतियां निर्माण अवधि के दौरान हमेशा निर्माण साइट पर रखी जाएंगी।

शिकायत निवारण तंत्र— उत्तराखण्ड समावेशी और रेजीलिएंट शहरी विकास परियोजना (यू०आई०आर०यू०डी०पी०) का शिकायत निवारण तंत्र (जी०आर०एम०), समुदायों और अन्य हितधारकों को अपनी राय व्यक्त करने, उनकी शिकायतों को दर्ज करने और एक निर्धारित समय सीमा के भीतर उनके निवारण के लिए एक मंच प्रदान करेगा। कार्यालय आदेश सोशल/यू०यू०एस०डी०ए०/आ०ई०ई०सी०/182 दिनांक 10 फरवरी, 2022 के तहत एक त्रिस्तरीय सामान्य जी०आर०एम० स्थापित किया गया है, इस हेतु समुचित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। परियोजना शिकायत निवारण प्रक्रियाओं पर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाया गया है। अभियान ने यह सुनिश्चित किया है कि गरीब, कमजोर और अन्य लोगों को जागरूक किया जाए और वे जागरूकता कार्यक्रम का हिस्सा बने। अद्यतन

पुनर्वास योजना में उल्लिखित शिकायत निवारण तंत्र यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों और शिकायतों को संवाद, संयुक्त तथ्य-खोज, बातचीत और समरया समाधान के माध्यम से सहयोगात्मक, शीघ्र और प्रभावी तरीके से हल किया जा सके।

पुनर्वास योजना बजट— पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन के लिए यथोचित बजट राशि प्रस्तावित है। जिससे अस्थायी आय हानि के लिए मुआवजा, एकमुश्त स्थानांतरण भत्ता और पहचान किए गए लोगों को एकमुश्त सहायता शामिल की गयी है। पी0आई0यू० द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के बैंक खाते में राशि इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित की जाएगी। परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (यदि बैंक खाते नहीं हैं) के पहचान पत्र तैयार करना और बैंक खाते खोलना सुनिश्चित करेगी।

संस्थागत व्यवस्था—शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड सरकार, यू०आई०आर०यू०डी०पी० की कार्यकारी एजेंसी है। उत्तराखण्ड शहरी क्षेत्र विकास एजेंसी के तहत एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी०ए०यू०), एक विशेष उद्देश्य वाहन, परियोजना कार्यान्वयन के लिए स्थापित किया गया है। कार्यान्वयन एजेंसी (आई०ए०) द्वारा देहरादून और नैनीताल में परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रबंधन के लिए शहर/नगर स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयां (पी०आई०यू०) स्थापित की गई हैं। पी०ए०यू०/पी०आई०यू० को परियोजना प्रबंधन और डिजाइन पर्यवेक्षण सलाहकार (पी०ए०डी०एस०सी०) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी जो कार्यक्रम प्रबंधन सहायता प्रदान करेगा, डिजाइन और निर्माण की तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा साथ ही नीतिगत सुधारों पर भी सलाह प्रदान करेगा। पुनर्वास योजना के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर पी०ए०यू०/पी०आई०यू० द्वारा बारीकी से निगरानी की जाएगी। कम्युनिटी अवेयरनेस एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन एजेंसी (सी०ए०ए०पी०ए०) पी०ए०यू० और पी०आई०यू० को प्रभावित व्यक्तियों के साथ बैठकें आयोजित करने और प्रभावित व्यक्तियों और हितधारकों के साथ एंटाइटेलमेंट मैट्रिक्स और शिकायत निवारण तंत्र के प्रकटीकरण की सुविधा प्रदान करेगी।

निगरानी और रिपोर्टिंग— पुनर्वास योजना के क्रियान्वयन पर पी०ए०यू० द्वारा बारीकी से नजर रखी जाएगी ताकि पुनर्वास की प्रगति का आकलन करने और संभावित कठिनाइयों और समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रभावी आधार तैयार किया जा सके। पी०ए०यू० को कानूनी समझौतों में प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों और प्रासंगिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने और उनके कार्यान्वयन प्रदर्शन पर समय-समय पर निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। निगरानी रिपोर्ट संबंधित पी०आई०यू० द्वारा पी०ए०यू० के साथ साझा की जाएगी और संकलित रिपोर्ट को ए०डी०बी० के साथ साझा की जाने वाली अर्ध-वार्षिक निगरानी रिपोर्ट में समेकित किया जाएगा। पी०ए०यू०/यू०आई०आर०यू०डी०पी० अर्ध-वार्षिक आधार पर ए०डी०बी० को निगरानी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा और ए०डी०बी० परियोजना की पूर्णता रिपोर्ट जारी होने तक परियोजना की निगरानी करता रहेगा।